न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

प्रभुलाल बनाम सुरेशचन्द्र किस्म मुकदमा – धारा 223 अपील संख्या 2025/227

अभिभाषक अपीलांट– श्री तंवर सिंह झाला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.25	पत्रावली पेश हुई। आज कोर्ट कैम्प स्थगित होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/1/26 को पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	2.1.26
2/1/26	पत्रावली पेश हुई। आज कोर्ट कैम्प स्थगित होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/1/26 को पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	9/1/26
9.1.26	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पत्रावली नोटप्रेस में खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया तथा इस बाबत अभिभाषक अपीलांट ने आदेशिका में नोटप्रेस अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये। अभि. अपीलांट द्वारा अपील नोटप्रेस में खारिज किये जाने ~~के~~ के निवेदन को स्वीकार किया जाकर अपील नोटप्रेस में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	Not Press

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवम् पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा केम्प झालावाड़ (राज0)

अपील संख्या /2025

प्रभूलाल पुत्र राधाकिशन जाति खटीक निवासी दुबलिया तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 .... अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेशचन्द पुत्र रतनलाल जाति मेघवाल निवासी दुबलिया तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0
2. दुर्गालाल पुत्र रतनलाल जाति मेघवाल निवासी दुबलिया तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़
3. ममताबाई पुत्री रतनलाल जाति मेघवाल निवासी दुबलिया तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0
4. सुशीलाबाई पुत्री रतनलाल जाति मेघवाल निवासी दुबलिया तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0
5. मांगीबाई बैवा रतनलाल जाति मेघवाल निवासी दुबलिया तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़
6. झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सुनेल तह0 सुनेल जिला झालावाड़
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पिड़ावा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 ......रेस्पोडेन्टस्

अपील धारा 223 राज0टी0 एक्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.05.2025 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जो प्रकरण संख्या 56/दावा/2017 उनवानी प्रभूलाल बनाम सुरेशचन्द वगैराह में पारित किया गया।

मान्यवर,

निवेदन है कि अपीलान्ट ने रेस्पाडेन्टस् के खिलाफ श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के यहा ग्राम दुबलिया तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ की आराजी खसरा नम्बर 910 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 909 रकबा 8 बीघा मे से 06 बिस्वा को खाते घोषित कराने बाबत दावा पेश किया। जिसमे प्रतिवादीगण को कानूनी प्रक्रिया के तहत तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण (रेस्पोडेन्टस्) की ओर से दिनांक 22.09.2017 को वकालत नामा पेश किया एवं जवाब में पत्रावली में कई तारीख पेशिया नियत की गयी तथा प्रतिवादीगण (रेस्पोडेन्टस्) कि ओर से दिनांक 30.06.2023 को आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका जवाब वादी की ओर से दिनांक 14.10.2024 को पेश किया, बहस दिनांक 01.04.2025 को सुनी तथा दिनांक 13.05.2025 को अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज कर कानून के खिलाफ निर्णय पारित कर दिया। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट निम्न कारणो से अपील पेश कर रहा है:–

1. यह कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधी विरूद्ध हैं, एवं पत्रावली पर आयी साक्ष के विपरित है, जो अपास्त होने योग्य है।

निरन्तर–2 पर